

राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, जयपुर  
क्रमांक एफ.2(3)अ/सांसू/24/आ0कृ0/9680-96  
कार्यालय-आदेश

दिनांक : 19/05/2020

राजस्थान सेवा नियम 56 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 78 के तहत निम्नलिखित कर्मचारी जो अधिनस्थ सेवा में कार्यरत हैं, को अधिवार्षिकी आयु पूरी कर लेने पर उनके नाम के आगे अंकित कॉलम संख्या 5 में वर्णित दिनांक को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं	नाम व पदनाम	जन्मतिथि	अधिवार्षिकी को आयु पूर्ण करने की दिनांक	सेवानिवृत्ति दिनांक	कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री मदनलाल, वाहन चालक	05.05.1960	05.05.2020	31.05.2020	सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) श्रीगंगानगर
2	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, कारपेन्टर	03.06.1960	03.06.2020	30.06.2020	कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
3	श्री मोहन लाल ओझा, सहायक सांख्यिकी अधि.	31.07.1960	31.07.2020	31.07.2020	कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
4	श्री राधा रंजन कुमार सिन्हा, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	15.08.1960	15.08.2020	31.08.2020	उप निदेशक, कृषि (गु.नि.) कीटनाशी प्रयोगशाला, कोटा

नोट:-

- उपरोक्त कर्मिकों के केवल सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये जा रहे। इनकी जाँच बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र पृथक से जारी किया जायेगा।
- उपरोक्त कर्मिकों को राजकीय आवास आवंटित हो तो सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार सेवानिवृत्ति के दो माह के भीतर राजकीय आवास खाली करवा लिया जावे।

(डॉ ओमप्रकाश)  
आयुक्त, कृषि

क्रमांक एफ.2(3)अ/सांसू/24/आ0कृ0/9680-96  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक : 19/05/2020

- निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान जयपुर।
- निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर।
- आहरण एवं वितरण अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
- संयुक्त निदेशक कृषि (प्र.मू.) जयपुर।
- संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) कोटा/श्रीगंगानगर।
- उप निदेशक, कृषि (गु.नि.) कीटनाशी प्रयोगशाला, कोटा।
- सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) श्रीगंगानगर।
- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यालय जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- प्रभारी, पेंशन शाखा मुख्यालय।
- संबंधित कर्मिक.....
- निजी/आरक्षी

(सीताराम जाट)  
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)